संख्या-239/2017/1872/22-2-2016-17(233)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 27 मार्च, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय पुत्र श्री बालचन्द, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी संजय पुत्र श्री बालचन्द, निवासी-तिगरी, थाना-मवाना, जनपद-मेरठ का निवासी है। दोनो पक्षों के मध्य चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24-04-1999 को प्रात: लगभग 05-30 बजे मवाना से गांव आ रहे अरविन्द व राज सिंह की रायफल एवं कट्टों से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-821/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,148,149 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट, मेरठ द्वारा दिनांक 11-03-2005 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.01.2016 तक 16 वर्ष 08 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 03 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी की आयु 43 वर्ष है तथा पूर्ण रूप से स्वस्थ है दोनो पक्षों में वर्तमान में विवाद है बन्दी रिहा होने पर कोई भी संगीन घटना घटित कर सकता है। गांव में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए बन्दी को जेल में निरूद्ध रखना आवश्यक है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य श्रेणी का अपराध होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने, बन्दी रिहा होने पर हत्या जैसा अपराध पुन: कर सकने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहोई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने वादी एवं उसके परिवार की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपनी आख्या में अंकित किया है दोनो पक्षों के मध्य चल रही मुकदमें बाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24-04-1999 को प्रात: लगभग 04-30 बजे मवाना से गांव आ रहे अरविन्द व राज सिंह की रायफल एवं कट्टो से गोली मारकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संजय पुत्र श्री बालचन्द, निवासी जनपद-मेरठ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित मिस रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-25979(एम0/बी0)/2016 संजय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-10-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी संजय (बन्दी संख्या-10965) पुत्र श्री बालचन्द, निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-239/2017/1872(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मेरठ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-239/2017/1872@22-2-2016-17(233)/2010

दिनांक 27 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी संजय (बन्दी संख्या-10965) पुत्र श्री बालचन्द, निवासी-तिगरी, थाना-मवाना, जनपद-मेरठ का निवासी है। दोनो पक्षों के मध्य चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24-04-1999 को प्रात: लगभग 05-30 बजे मवाना से गांव आ रहे अरविन्द व राज सिंह की रायफल एवं कट्टों से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-821/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,148,149 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट, मेरठ द्वारा दिनांक 11-03-2005 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.01.2016 तक 16 वर्ष 08 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 03 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी की आयु 43 वर्ष है तथा पूर्ण रूप से स्वस्थ है दोनो पक्षों में वर्तमान में विवाद है बन्दी रिहा होने पर कोई भी संगीन घटना घटित कर सकता है। गांव में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए बन्दी को जेल में निरूद्ध रखना आवश्यक है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य श्रेणी का अपराध होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने, बन्दी रिहा होने पर हत्या जैसा अपराध पुन: कर सकने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहोई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने वादी एवं उसके परिवार की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है दोनो पक्षों के मध्य चल रही मुकदमें बाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24-04-1999 को प्रात: लगभग 04-30 बजे मवाना से गांव आ रहे अरविन्द व राज सिंह की रायफल एवं कट्टो से गोली मारकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संजय पुत्र श्री बालचन्द, निवासी जनपद-मेरठ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in